न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 517–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा प्रकरण कमांक 11/अ–6/11–12.

1– मनोहर पिता रामेश्वर मालवीय

2– राकेश पिता रामेश्वर मालवीय

3– दुर्गा प्रसाद पिता रामेश्वर मालवीय

निवासीगण ग्राम सतवासा

तहसील सिवनी माला जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती मीनाबाई उर्फ पुष्पाबाई

बेवा राधेश्याम मालवीय

2– दीपक मालवीय पुत्र स्व. राधेश्याम मालवीय

3– राहुल मालवीय पुत्र स्व. राधेश्याम मालवीय

निवासीगण ग्राम लिबट्री हाउसिंग कॉलौनी

ग्राम सामरधा, कलियासोत

तहसील हुजूर जिला भोपाल

4– श्रीमती रेणु मालवीय पत्नी राधेश्याम सेन

पिता स्व. राधेश्याम मालवीय

निवासी ग्राम कालापीपल

तहसील कालापीपल जिला शाहपुर .....अनावेदकगण

श्री के.के. यदुवंशी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संशोधन पंजी कमांक 78 पर पारित प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 15–12–89 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण एवं अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–2013 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र दिनांक 20–8–2013 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वसीयतनामा की छायाप्रति स्वीकार की गई एवं विवाह के दस्तावेज को अस्वीकार किया गया । अनावेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र सूची दस्तावेज के साथ स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 43 व 47 के नियमों का पालन और अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण किये बिना वादग्रस्त आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) राजस्व न्यायालयों को स्वत्व के निराकरण करने की अधिकारिता नहीं है, और जो व्यक्ति भूमिस्वामी एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं है, उसे अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, और अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है । उपरोक्त तथ्यों पर बिना ध्यान दिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता

के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सच्चाई को समझने में भूल कर उन्हें रिकार्ड पर नहीं लेने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों की 5 वीं पंक्ति में संशोधन पंजी का कमांक 87 दिनांक 15–12–89 बताया है, जबकि 14 वीं पंक्ति में संशोधन पंजी का कमांक 78 बताया गया है । अतः निगरानी मेमों में संशोधन पंजी के संबंध में विसंगति है ।

(2) आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उनका निराकरण पक्षकारों के अंतिम तर्क श्रवण करने के उपरांत ही अनुविभागीय अधिकारी को करना है, अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है ।

(3) निगरानी मेमों की 12 वीं पंक्ति में वसीयतनामा निष्पादन का दिनांक 16–8–89 बताया गया है, जबकि वसीयतनामा दिनांक 16–8–88 को निष्पादित हुआ है ।

(4) आवेदकगण द्वारा वसीयतनामा का निष्पादन दिनांक 16–8–89 बताया गया है, और वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 31–8–89 को होना बताया है, जबकि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 6–6–2011 से सिद्ध है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 31–8–88 को हुई है, अतः दिनांक 31–8–89 को वसीयत निष्पादित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत विवाह पत्र को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकार्ड में नहीं लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि वह प्रकरण के निराकरण के लिए सारवान अभिलेख नहीं है ।

(6) अनावेदकगण की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, वह सारवान होकर लोक दस्तावेज हैं, अतः उसे रिकार्ड पर लेने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत विवाह के दस्तावेज अस्वीकार करने का कोई भी कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, जबकि उन्हें उक्त दस्तावेज निरस्त करने के लिये आधार सहित बोलता हुआ आदेश पारित करना था । यहॉ यह महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि पक्षकार का यह दायित्व होता है कि वह अपना पक्ष समर्थन साक्ष्य से सिद्ध करें, अतः इस प्रकरण में यह न्यायिक एवं विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर